उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक C/ 1865 / जबलपुर, दिनांक 25 / 04 / 2022

चार–12–14 / 10

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
2. समस्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खंडपीठ इन्दौर / ग्वालियर,
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा) / प्रशासनिक अधिकारी(बजट) / सहायक सेवापुस्तिका (राजपत्रित) / सहायक (पेंशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल का पत्र क्रमांक 1001 / 21–ब(एक) / 2022 भोपाल दिनांक 12.04.2022 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

नोटः– रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

23.4.2022

रजिस्ट्रार(एम)

डेमन

(20)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश
13 APR 2022
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्रमांक 1001/21–ब(एक)/2022 भोपाल, दिनाक 12.04.2022

प्रति,

रजिस्ट्रार जनरल,
म.प्र. उच्च न्यायालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषयः– **मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 01.01.2022 से पुनरीक्षित दर पर महंगाई भत्ते का भुगतान करने बावत्।**

—

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई–II(बी), दिनांक 07.04.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पुनरीक्षित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन,पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम, 2010 के नियम–9 के तहत ये पुनरीक्षित दरें मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा के सदस्यों पर लागू होंगी।

अतः राज्य शासन केन्द्र सरकार के उक्त समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 07.04.2022 के अनुक्रम में राज्य में कार्यरत समस्त न्यायिक सेवा के सदस्यों को दिनांक 01.01.2022 से 196 प्रतिशत से बढ़ाकर 203 प्रतिशत महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक 1/3/2008–ई– II(बी), दिनांक 01.11.2021 में दर्शाई गई रीति से होगा।

(2) इस आदेश के तहत देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01.01.2022 से नगद किया जावेगा।

(3) महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन, मंहगाई भत्ते वेतन के आधार पर की जावेगी।

(4) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।

(5) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाए जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

(6) एरियर के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जावेंगे जहां से उक्त अवधि के लिए संबधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो।.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

BK Dwivedi 12/4/22
(बी0के0द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

DA Orders of Judicial Officers

13 APR 2022
Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur

Reg (A)

A.O. (Pension)

पृ. फा.क्रमांक 1001 / 21–ब(एक) / 2022 भोपाल, दिनांक 12.04.2022

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर / ग्वालियर,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल,
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मंत्रालय भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल,
7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यककल्याणविभाग,मंत्रालय,भोपाल,
8. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय भोपाल,
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग, मंत्रालय भोपाल,
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय भोपाल,
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
12. रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल,
13. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल,
14. रजिस्ट्रार, म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल,
15. रजिस्ट्रार, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनीवर्सिटी, भोपाल,
16. रजिस्ट्रार, म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल,
17. रजिस्ट्रार, मानव अधिकार आयोग, भोपाल,
18. सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवाल, भोपाल,
19. सचिव, स्थापना शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,
20. महानिदेशक, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
21. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
22. समस्त जिला एवं सेशन्स न्यायाधीश, मध्यप्रदेश,
23. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन, भोपाल,
24. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल,
25. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, सतपुड़ा भवन, भोपाल,
26. संभागीय पेंशन अधिकारी, सतपुड़ा भवन,प्रथम तल, भोपाल,
27. समस्त कोषालय, अधिकारी, मध्यप्रदेश,
28. श्री एम.आर. पाण्डे, अध्यक्ष म.प्र. न्यायिक सेवानिवृत्त संघ, 192, न्याय नगर, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.) पिन–452010,
29. उप सचिव, लोकायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश,
30. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गोविन्दपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश,
31. वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, केन्द्रीयकृत पेंशन शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालगंज चौराहा, इंदौर, मध्यप्रदेश,
32. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड भोपाल
33. इलाहबाद बैंक ऑफिस कॉम्पलैक्स गौतम नगर भोपाल
34. बैंक ऑफ बाडोदा 202, जोन 1, गंगा जमुना कॉम्पलैक्स एम.पी नगर भोपाल
35. बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल

36. यूनाईटिड बैंक ऑफ इंडिया 52, होटल ताज बिल्डिंग हमीदिया रोड भोपाल
37. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 9, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल
38. पंजाब नैशनल बैंक ऑफ एफ.जी.एम ऑफिस नियर अरेरा हिल्स भोपाल
39. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ.जी.एम ऑफिस नियर गवर्मेंट प्रेस अरेरा हिल्स भोपाल
40. अवर सचिव, मानिटरिंग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु) विधि विभाग, भोपाल,
41. महालेखाकार, अन्य राज्य...............
42. रजिस्ट्रार, म.प्र. औद्योगिक न्यायालय, मोती बंगला, एम.जी. रोड, इंदौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

(उमेश पाण्डव)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

No. 1/3(1)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

North Block, New Delhi
Dated the 7th April, 2022.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Revised rates of Dearness Allowance to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission from 01.01.2022**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 1/3(1)/2008-E.II(B) dated 1st November, 2021 on the subject mentioned above and to say that the rate of Dearness Allowance in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who are continuing to draw their pay in the pre-revised Pay Scale/Grade Pay **as per 6th Central Pay Commission**, shall be enhanced from the existing rate of 196% to **203%** of Basic Pay **w.e.f. 01.01.2022**

2. The provisions contained in Paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Nirmala Dev)
Director

To,

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).

CR
8642